**संख्या-398/2021/I/81762/2021-23-11099/4452/2020**

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-11** **लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2021**

**विषय:-** जनपद प्रयागराज में जी0टी0 रोड से एयरपोर्ट रोड निकट सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु एवं जी0टी0 रोड जंक्शन पर चौफटका से कानपुर की तरफ 02 लेन फ्लाई ओवर सेतु के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-2461 नि0/आर0ओ0बी0/प्रयागराज क्षे0/बी0एम0सी0/20-21, दिनांक 08-01-2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरों के बाईपास/रिंग रोड/फ्लाई ओवर के निर्माण के नये कार्यो की व्यवस्था योजनान्तर्गत जनपद प्रयागराज में जी0टी0 रोड से एयरपोर्ट रोड निकट सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु एवं जी0टी0 रोड जंक्शन पर चौफटका से कानपुर की तरफ 02 लेन फ्लाई ओवर सेतु के निर्माण कार्य की आंकलित लागत रू0 28421.46 लाख (रूपये दो अरब चौरासी करोड़ इक्कीस लाख छियालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2021-22 में लागत के सापेक्ष कुल रू0 2000.00 लाख (रूपया बीस करोड़ मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तो/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रूपये लाख में)

| क्र0 सं0 | जनपद | कार्य का विवरण | स्वीकृत लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | प्रयागराज | जनपद प्रयागराज में जी0टी0 रोड से एयरपोर्ट रोड निकट सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु एवं जी0टी0 रोड जंक्शन पर चौफटका से कानपुर की तरफ 02 लेन फ्लाई ओवर सेतु के निर्माण का कार्य। | 28421.46 | 2000.00 |

1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

5- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

6- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

7- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

8- मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

9- प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

10- व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

11- प्रायोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत विद्युत विभाग हेतु रू0 2007.35 लाख, उत्तर प्रदेश जल निगम की सीवर लाइन शिफ्टिंग हेतु रू0 192.47 लाख एवं पाइन लाइन शिफ्टिंग हेतु रू0 173.91 लाख की यथाप्रस्तावित धनराशि अनुमोदित की गयी है। यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्रस्तावित कार्यो का विभाग द्वारा अपने स्तर से वेरिफिकेशन एण्ड रिवैलिडेशन कराते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। तद्नुसार इन कार्यो हेतु यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत अनुमन्य की जायेगी।

12- प्रायोजना अन्तर्गत निजी भूमि (2127.488 व0मी0) का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। भूमि अध्याप्ति/परिसम्पत्ति की दर/लागत न्यूनतम् आवश्यकतानुसार सुसंगत राजस्व/वित्तीय नियमों के आधार पर विभाग द्वारा अपने उत्तरदायित्व पर किया जायेगा।

13- प्रायोजना में सेना की 12675.228 वर्ग मीटर भूमि प्रभावित हो रही है। इस हेतु सेना से एन0ओ0सी0 प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

14- प्रायोजना की प्रस्तावित लागत में विशिष्टियों/कार्य प्रावधानो को यथावत मानते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया है। आर0ओ0बी0/फ्लाई ओवर निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, आर0ई0 वाल एबेटमेन्ट आदि परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत परियोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय-वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

15- प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

16- प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

17- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-03/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18- प्रश्नगत परियोजना का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 से कराया जायेगा।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-85-शहरों के बाईपास/रिंग रोड/फ्लाई ओवर के निर्माण के नये कार्यो की व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-1231427/दस-2021, दिनांक 29 जून, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

**<u>संख्या</u>** <u>व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
10- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
13- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।